



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: mis.nsqf.raj@gmail.com



क्रमांक:- रामाशिप/जय/व्या0शि0/2017-18/5104

दिनांक: 23/06/2018

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
समस्त जिले, राजस्थान

विषय:- व्यावसायिक शिक्षा योजनांतर्गत सत्र 2018-19 में कक्षा-9 में हेल्थकेयर ट्रेड के संबंध में।
सन्दर्भ:- MHRD का पत्रांक F.No.-1-8/2016-RMSA-IV/VE DATE-06-April 2018

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्रानुसार व्यावसायिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु सत्र 2018-19 से 100 जॉब रोल्ल्स के स्थान पर 73 जॉब रोल्ल्स निर्धारित किये गये हैं। 73 जॉब रोल्ल्स की सूची में हेल्थकेयर व्यवसाय के लिये कक्षा-9 एवं 10 में जॉब रोल्ल निर्धारित नहीं कर केवल कक्षा 11 एवं 12 में निर्धारित किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में हेल्थकेयर व्यवसाय में जिन विद्यार्थियों ने लेवल-01 (कक्षा-9) उत्तीर्ण किया है, उन्हें लेवल-2 (कक्षा-10) में, जिन विद्यार्थियों ने लेवल-2 (कक्षा-10) उत्तीर्ण की है उन्हें लेवल-03 (कक्षा-11) में इसी प्रकार लेवल-03 (कक्षा-11) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लेवल-04 (कक्षा-12) में प्रवेश दिया जाना है अर्थात् व्यावसायिक शिक्षा में हेल्थकेयर व्यवसाय का संचालन बन्द नहीं किया गया है।

अतः आप अपने अधीनस्थ व्यावसायिक शिक्षा योजनांतर्गत हेल्थ केयर ट्रेड संचालित समस्त विद्यालयों को सूचित करावें कि सत्र 2018-19 में लेवल-1 (कक्षा 9) में हेल्थकेयर व्यवसाय में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं लिया जाना है।

उक्तानुसार पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-हेल्थकेयर संचालित विद्यालयों की जिलेवार सूची।

(Signature)

(सुरेश चन्द्र)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
02. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
03. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
04. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
05. नियंत्रक वित्त, रामाशिप., जयपुर।
06. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार संबंधित प्रधानाचार्य को अवगत करावें।
07. प्रतिनिधि, NSDC, नई दिल्ली।
08. प्रधानाचार्य, हेल्थकेयर ट्रेड संचालित समस्त विद्यालय।
09. उपनिदेशक, शाला दर्पण को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(Signature)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक